This is a digitally signed Gazette, to verify click here.
http://rajpatrahimachal.nic.in

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

मंगलवार, 06 जनवरी, 2026 / 16 पौष, 1947

हिमाचल प्रदेश सरकार

FOREST DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 29th December, 2025

No. FFE-B-F004/1/2025 Forest-B.—In exercise of the power vested under Section 36B of Wildlife (Protection) Act, 1972, the Governor Himachal Pradesh is pleased to constitute the

"Conservation Reserve Management Committee" for the Tsarap Chu Conservation Reserve to advise the Chief Wildlife Warden (H.P.) on conservation, management and maintenance of the Tsarap Chu Conservation Reserve, as under for effective management:—

Sl. No.	Particular of member	Designation in Committee	Contact's detail	Remarks
1.	DCF Lahaul	Member	DCF, Lahaul, 01900-222235.	_
2.	Deputy Director, Animal Husbandry.	Member	O/o Director Animal Husbandry, Keylong, 82192 49630.	_
3.	Assistant Project Officer(Agriculture) Kaza.	Member	O/o Director, Agriculture Shimla, 78764 54588.	_
4.	Pradhan Gram Panchayat Lossar.	Member	Pradhan Gram Panchayat Lossar Teh- Kaza, Distt- Lahaul & Spiti, 78762 06924.	_
5.	Pradhan Gram Panchayat Darcha.	Member	Pradhan Gram Panchyat, Darcha, Distt. Lahaul & Spiti, 94846 6044.	_
6.	Nature Conservation Foundation	Member (Nominated NGO)	3076/5, IV cross, Gokulam Park, Mysoor 570 Karnatka India, + 918212515601.	The Foundation is working in Spiti since 1990s in the field of Wildlife Conservation, monitoring of various high altitude species and capacity building of local and staff of HPFD. Website- https://www.ncf-india.org
8.	Eco Sphere	Member (Nominated NGO)	Ecosphere, main Market Kaza, norbu@spitiecosphe re.com, 82787 73842.	The NGO is working in Spiti since 2004 in the area of renewable energy resources management, sustainable development and economic empowerment through livelihood generation etc.

				Website- www.spitiecosphere.com
9.	DCF WL Spiti	Member Secretary	Wildlife Division Spiti at Kaza, 01906-299024.	-
10.	SDO (Civil) Spiti at Kaza.	Co-Opted Member	ADC Office Kaza, sdmkaza-1sp-hp@nic.in. 01906222302.	-

The "Conservation Reserve Management Committee" will send its recommendations, including activities to be carried out in the conservation reserve area to the Chief Wildlife Warden, H.P. The Conservation Reserve Management Committee will meet atleast once in six months and the tenure of the committee will be from the date of notification till 31-07-2027.

By order,

Additional Chief Secretary (Forest).

आवास विभाग

अधिसूचना

शिमला –2, 5 जनवरी, 2026

संख्या : एच0एस0जी0–ए(3)–6 / 2020.––हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भू–सम्पदा (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 (2016 का अधिनियम संख्यांक 16) की धारा 84 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नगर एवं ग्राम योजना विभाग की अधिसूचना संख्याः टी.सी.पी.–ए(3)–1 / 2016–लूज, तारीख 28 सितम्बर, 2017 द्वारा अधिसूचित और तारीख 07 अक्तूबर, 2017 को राजपत्र (ई–गजट), हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित हिमाचल प्रदेश भू–सम्पदा (विनियमन और विकास) नियम, 2017 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :–

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ**.––(1) इन नियमो का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश भू–सम्पदा (विनियमन और विकास) संशोधन नियम, 2025 हैं।

(2) ये नियम राजपत्र (ई–गजट), हिमाचल प्रदेश में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. **नियम 3 का संशोधन**– हिमाचल प्रदेश भू–सम्पदा (विनियमन और विकास) नियम, 2021 (जिन्हे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त नियम' कहा गया है) के नियम 3 के उप –नियम (3) के खण्ड (क) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :–

(क) संप्रवर्तक रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन के समय, यथास्थिति, डिमांड ड्राफ्ट या ऑनलाइन संदाय पद्धति के माध्यम से, रजिस्ट्रीकरण फीस का संदाय निम्न प्रकार से करेगाः––

तालिका 3.1
रजिस्ट्रेशन फीस

क्रम संख्या	भू–सम्पदा परियोजना का प्रकार	विद्यमान दर	नई प्रस्तावित दर	
			ग्रामीण क्षेत्र	(शहरी क्षेत्र)
1.	आवासीय उपयोग के लिए पलौटिड विकास।	जमाबंदी अनुसार कुल परियोजना भूमि का रु0 10/– प्रति वर्ग मीटर।	जमाबंदी अनुसार कुल परियोजना भूमि का रु0 30/– प्रति वर्ग मीटर।	जमाबंदी अनुसार कुल परियोजना भूमि का रु0 40/– प्रति वर्ग मीटर।
2.	वाणिज्यिक उपयोग के लिए पलौटिड विकास।	जमाबंदी अनुसार कुल परियोजना भूमि का रु0 20/– प्रति वर्ग मीटर।	जमाबंदी अनुसार कुल परियोजना भूमि का रु0 60/– प्रति वर्ग मीटर।	जमाबंदी अनुसार कुल परियोजना भूमि का रु0 80/– प्रति वर्ग मीटर।
3.	संयुक्त आवासीय और वाणिज्यिक उपयोग के लिए पलौटिड विकास।	जमाबंदी अनुसार कुल परियोजना भूमि का रु0 15/– प्रति वर्ग मीटर।	जमाबंदी अनुसार कुल परियोजना भूमि का रु0 45/– प्रति वर्ग मीटर।	जमाबंदी अनुसार कुल परियोजना भूमि का रु0 60/– प्रति वर्ग मीटर।
4.	आवासीय उपयोग के लिए पलौटिड विकास।	स्वीकृत योजना अनुसार कुल निर्मित क्षेत्र का रु0 10/– प्रति वर्ग मीटर।	स्वीकृत योजना अनुसार कुल निर्मित क्षेत्र का रु0 30/– प्रति वर्ग मीटर।	स्वीकृत योजना अनुसार कुल निर्मित क्षेत्र का रु0 40/– प्रति वर्ग मीटर।
5.	वाणिज्यक उपयोग के लिए पलौटिड विकास।	स्वीकृत योजना अनुसार कुल निर्मित क्षेत्र का रु0 20/– प्रति वर्ग मीटर।	स्वीकृत योजना अनुसार कुल निर्मित क्षेत्र का रु0 60/– प्रति वर्ग मीटर।	स्वीकृत योजना अनुसार कुल निर्मित क्षेत्र का रु0 80/– प्रति वर्ग मीटर।
6.	संयुक्त आवासीय और वाणिज्यिक उपयोग के लिए पलौटिड विकास ।	स्वीकृत योजना अनुसार कुल निर्मित क्षेत्र का रु0 15/– प्रति वर्ग मीटर।	स्वीकृत योजना अनुसार कुल निर्मित क्षेत्र का रु0 45/– प्रति वर्ग मीटर।	स्वीकृत योजना अनुसार कुल निर्मित क्षेत्र का रु0 60/– प्रति वर्ग मीटर।

आदेश द्वारा,
हस्ताक्षरित/–
मुख्य सचिव (आवास)।

————————

[Authoritative English text of this Department Notification No.HSG-A(3)-6/2020, dated 05-01-2026 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India].

HOUSING DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 5th January,2026.

No. HSG-A(3)-6/2020.—In exercise of the powers conferred by Section 84 of the Real Estate (Regulation and Development) Act, 2016 (Act No. 16 of 2016), the Governor, Himachal Pradesh is pleased to make the following rules further to amend the Himachal Pradesh Real Estate (Regulation and Development) Rules, 2017 notified *vide* Town and Country Planning Department Notification No.TCP(A)-3/1/2016-Loose, dated 28th September, 2017 and published in the Rajpatra (e-Gazette) on 07th October,2017, namely:—

1. Short title and Commencement.—(1) These rules may be called the Himachal Pradesh Real Estate (Regulation and Development), Amendment Rules, 2025.

(2) These rules shall come into force from the date of their publication in the Rajpatra (e-Gazette), Himachal Pradesh.

2. Amendment of rule 3.—In rule 3 of the Himachal Pradesh Real Estate (Regulation and Development) Rules, 2021 for clause (a) of sub –rule (3), the following shall be substituted, namely:—

(a) The promoter shall pay a registration fee at the time of application for registration by way of a demand draft or through online payment mode, as the case may be, as under:-

Table 3.1
Registration Fee

Sl. No.	Type of Real Estate Project	Existing Rate	New proposed Rate	
			Rural Area	Urban Area
1.	Plotted Development for Residential use.	Rs. 10/per M^2 of total project land as per Jamabandi.	Rs. 30/per M^2 of total project land as per Jamabandi.	Rs. 40/per M^2 of total project land as per Jamabandi.
2.	Plotted Development for Commercial Use.	Rs. 20/per M^2 of total project land as per Jamabandi.	Rs. 60/per M^2 of total Project land as per Jamabandi.	Rs. 80/per M^2 of total Project land as per Jamabandi.
3.	Plotted Development for Mixed Residential and commercial Use.	Rs. 15/per M^2 of total project land as per Jamabandi.	Rs. 45/per M^2 of total Project land as per Jamabandi.	Rs. 60/per M^2 of total Project land as per Jamabandi.
4.	Flatted Development for Residential Use.	Rs. 10/Per M^2 of total built up area as per sanctioned plan.	Rs. 30/Per M^2 of total built up area as per sanctioned plan.	Rs. 40/Per M^2 of total built up area as per sanctioned plan.
5.	Flatted Development for commercial use.	Rs. 20/ per M^2 of total built up area as per sanctioned	Rs. 60/per M^2 of total built up area as per sanctioned	Rs. 80/per M^2 of total built up area as per sanctioned plan.

		plan.	plan	
6.	Flatted Development for Mixed Residential and commercial use.	Rs. 15/per M^2 of total built up area as per sanctioned plan.	Rs. 45/ per M^2 of total built up area as per sanctioned plan.	Rs. 60/ per M^2 of total built up area as per sanctioned plan.

By order,
Sd/-
(SANJAY GUPTA),
Chief Secretary (Housing).

ENV., SCI. TECH. & CLIMATE CHANGE DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-171 002, the 24th November, 2025

No. STE-B(1)1/2005.—The Governor, Himachal Pradesh, is pleased to accord approval for the restructuring of the Department of Environment, Science, Technology and Climate Change by abolishing five existing posts namely one post of Principal Scientific Officer (Biotechnology) (as a dying cadre), one post of Senior Scientific Officer (Planning), one post of Project Officer and two posts of Research Assistant, and further order creation & filling up of five new posts namely one (01) post of Junior Scientific Officer (Biotechnology), two (02) posts of Junior Scientific Officer (Climate Change) and two (02) posts of Junior Environment Officer in the Level-11 of the Pay Matrix of 38,500–1,22,700 in the Department with immediate effect.

2. The expenditure on this account will be debited to Major Head: 3425-060-001-02-SOE-01 during the year 2025-2026.

By order
Sd/-
(SUSHIL KUMAR SINGLA),
Secretary (EST & CC).

ENV, SCI. TECH. & CLIMATE CHANGE DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-171 002, the 24th November, 2025

No. STE-A (3)-1/2004-Loose.—In exercise of the powers conferred by Sub-Section (1) and (4) of the Section 22 of the Biological Diversity Act, 2002, as amended in year 2023, the Governor, Himachal Pradesh in supersession to this Department's Notification No. STE-A (3)-1/2004-L dated

07-10-2021 is pleased to re-constitute HP State Biodiversity Board for the purpose of the said Act, consisting of the following members with immediate effect, for the period of three years:

I.	**Chief Secretary to the Government of Himachal Pradesh**	**Chairperson**
II.	**Ex Officio Members**	
1.	Administrative Secretary, Incharge, (Urban Development), Government of Himachal Pradesh.	*Member*
2.	Administrative Secretary, Incharge, Tribal Development to the Government of Himachal Pradesh.	*Member*
3.	Administrative Secretary, Incharge, Env., Sci. Tech. & CC, to the Government of Himachal Pradesh.	*Member*
4.	Administrative Secretary, Incharge, Rural Development & Panchayati Raj, to the Government of Himachal Pradesh.	*Member*
5.	Administrative Secretary, Incharge, Ayush, to the Government of Himachal Pradesh.	*Member*
6.	The Principal Chief Conservator of Forests (HoFF), Himachal Pradesh.	*Member*
7.	Director, Environment, Sci. Tech. & CC, H.P.	**Member Secretary**
III.	**Non-Official Members**	
1.	The Director, CSIR-Institute of Himalayan Bio-Resource Technology, Palampur (H.P).	*Member*
2.	Dr. G.S. Goraya, IFS, Former Principal Chief Conservator of Forests (HoFF), Himachal Pradesh.	*Member*
3.	Dr. D.P. Sharma, Professor & Dean, College of Horticulture and Forestry, Dr. Y.S. Parmar University of Horticulture and Forestry, Neri, Hamirpur (H.P).	*Member*
4.	Dr. Mohar Singh, Principal Scientist and Head, ICAR-NBPGR Regional Station, Phagli, Shimla.	*Member*
5.	Dr. Vaneet Jishtu, Head Extension Division, ICFRE-Himalayan Forest Research Institute (HFRI), Shimla (H.P).	*Member*

The Board will be competent to invite any official and/or non-official Expert Member as a special Invitee to the Board Meeting. The Board shall discharge its functions as provided in the Act *ibid.*

By order,
PRABODH SAXENA, IAS,
Chief Secretary.

PUBLIC WORKS DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla -2, the 1st January, 2026

No. PWD-A-A0(1)/19/2025.—The Governor, Himachal Pradesh is pleased to order to re-name the "Himachal Pradesh Public Works Department, Division No. I, Shimla" as "Himachal

Pradesh Public Works Department, Division Kasumpti, Shimla" in HPPWD with immediate effect, in the public interest.

By order,

Additional Chief Secretary (PW).

ब अदालत जनाब सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, सुजानपुर, जिला हमीरपुर (हि0प्र0)

मिसल नम्बर	किस्म मुकद्दमा	तारीख दायर	तारीख पेशी
69 / NT/2025	जन्म तिथि पंजीकरण	30—12—2025	19—01—2026

श्री मदन लाल पुत्र तरलोक चन्द, वासी मोहाल भुआड, तहसील सुजानपुर, जिला हमीरपुर (हि0प्र0) . . वादी।

बनाम

आम जनता . प्रतिवादी।

जन्म तिथि पंजीकरण under Section 13(3) of Birth & Death Act, 1969. श्री मदन लाल पुत्र तरलोक चन्द, वासी मोहाल भुआड, तहसील सुजानपुर, जिला हमीरपुर (हि0प्र0)

प्रार्थना—पत्र बराये जन्म तिथि पंजीकरण प्रार्थी श्री मदन लाल पुत्र तरलोक चन्द, वासी मोहाल भुआड, तहसील सुजानपुर, जिला हमीरपुर (हि0प्र0) ने इस अदालत में दायर किया है कि उसका जन्म दिनांक 08—05—1970 को ग्राम पंचायत डेरा में नहीं हो पाया है। लिहाजा इसे ग्राम पंचायत डेरा में दर्ज करने के लिए आदेश पारित किए जाएं।

अतः प्रतिवादी आम जनता तथा सम्बन्धित रिश्तेदारों को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त जन्म तिथि पंजीकरण बारे कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक पेशी 19—01—2026 को सुबह 10.00 बजे इस न्यायालय में असालतन या वकालतन अपना एतराज अधोहस्ताक्षरी के समक्ष उपस्थित होकर पेश कर सकता है अन्यथा उपरोक्त जन्म तिथि को दर्ज करने के आदेश दे दिये जायेंगे। उसके उपरान्त कोई एतराज नहीं सुना जाएगा।

आज दिनांक 30—12—2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित / —
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
सुजानपुर, जिला हमीरपुर (हि0प्र0)।

ब अदालत तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, सुजानपुर, जिला हमीरपुर (हि0प्र0)

केस नम्बर	किस्म मुकद्दमा	दायर तिथि	आगामी तारीख पेशी / सुनवाई
55 / 2025	इंद्राज जन्म तिथि	20—12—2025	16—01—2026

श्रीमती शकुतंला कुमारी पुत्री परमानन्द, निवासी वहूली, डाकघर करोट, तहसील सुजानपुर, जिला हमीरपुर (हि0प्र0) . . प्रार्थिया।

बनाम

आम जनता . . प्रत्यार्थी।

विषय.——प्रार्थना—पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 श्रीमती शकुतंला कुमारी पुत्री परमानन्द, निवासी वहूली, डाकघर करोट, तहसील सुजानपुर, जिला हमीरपुर (हि0प्र0) के सम्बन्ध में इश्तहार / सूचना / मुश्त्री मुनादी आदि।

श्रीमती शकुतंला कुमारी पुत्री परमानन्द, निवासी वहूली, डाकघर करोट, तहसील सुजानपुर, जिला हमीरपुर (हि0प्र0) द्वारा आवेदन—पत्र शपथ—पत्र व अन्य सम्बन्धित दस्तावेजों / रिकॉर्ड सहित इस कार्यालय में प्राप्त हुआ है। जिसमें उल्लेख है कि श्रीमती शकुतंला कुमारी पुत्री परमानन्द, निवासी वहूली, डाकघर करोट, तहसील सुजानपुर, जिला हमीरपुर (हि0प्र0) का जन्म दिनांक 10—01—1946 को हुआ है, जोकि अज्ञानतावश सम्बन्धित ग्राम पंचायत करोट के जन्म व मृत्यु रजिस्टर में आज दिन तक दर्ज नहीं हुआ है। अतः प्रार्थिया अपनी जन्म तिथि की घटना का पंजीकरण ग्राम पंचायत करोट के रिकार्ड में दर्ज करवाना चाहती है।

अतः इस इश्तहार / मुश्त्री मुनादी द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त प्रार्थिया श्रीमती शकुतंला कुमारी पुत्री परमानन्द, निवासी वहूली, डाकघर करोट, तहसील सुजानपुर, जिला हमीरपुर (हि0प्र0) की जन्म तिथि 10—01—1946 की घटना का पंजीकरण ग्राम पंचायत करोट के रिकॉर्ड में दर्ज करवाने बारे कोई आपत्ति हो तो वह असालतन या वकालतन दिनांक 16—01—2026 को इस अदालत में प्रातः 11.00 बजे उपस्थित होकर अपना उजर पेश कर सकता है। हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर उक्त जन्म तिथि 10—01—1946 की घटना का पंजीकरण ग्राम पंचायत करोट के रिकार्ड में दर्ज करने के आदेश पारित कर दिये जाएंगे तथा बाद में किसी भी प्रकार का कोई उजर मान्य नहीं होगा।

आज दिनांक 20—12—2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित / —
कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं तहसीलदार,
सुजानपुर, जिला हमीरपुर (हि0प्र0)।

——————

ब अदालत नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी थुरल, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

मुकद्दमा नं0 : 12 / 2025 तारीख पेशी : 27—01—2026

किस्म प्रकरण : जन्म पंजीकरण

श्रीमती सुर्दशना देवी पुत्री परसिन्दा राम, निवासी गांव हंलू, डाकघर थुरल, तहसील थुरल, ग्राम पंचायत थुरल कांना सुआ, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) . प्रार्थिया।

बनाम

आम जनता . . प्रतिवादी।

विषय.——जन्म व मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 13(3) के तहत जन्म पंजीकरण हेतु प्रार्थना–पत्र।

इश्तहार अखबारी व मुश्त्री मुनादी।

श्रीमती सुर्दशना देवी पुत्री परसिन्दा राम, निवासी हंलू, डाकघर थुरल, तहसील थुरल, ग्राम पंचायत थुरल कांना सुआ, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ने इस अदालत में असालतन हाजिर होकर प्रार्थना–पत्र मय ब्यान हलफी पेश करते हुए आवेदन किया कि उसका जन्म दिनांक 30–12–1973 को गांव हंलू, डाकघर थुरल, तहसील थुरल, ग्राम पंचायत थुरल कांना सुआ, जिला कांगड़ा में हुआ है। परन्तु अज्ञानतावश उसके जन्म का पंजीकरण स्थानीय ग्राम पंचायत के अभिलेख में दर्ज न करवाया गया है। अतः प्रार्थिया इस न्यायालय के माध्यम से अपने जन्म पंजीकरण करने का आदेश ग्राम पंचायत थुरल कांना सुआ को जारी करवाना चाहती है।

अतः प्रार्थिया का आवेदन स्वीकार करते हुए इस इश्तहार मुश्त्री मुनादी द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति या संस्था को उपरोक्त की जन्म तिथि 30–12–1973 के पंजीकरण बारे कोई उजर / एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन तारीख पेशी 27–01–2026 को हाजिर अदालत हो अपना उजर एवं एतराज पेश कर सकता है बाद तारीख पेशी किसी किस्म का उजर एवं एतराज नहीं सुना जावेगा व उपरोक्त श्रीमती सुर्दशना देवी पुत्री परसिन्दा राम की जन्म तिथि को पंजीकृत करने का आदेश उप स्थानीय पंजीकार जन्म व मृत्यु ग्राम पंचायत थुरल कांना सुआ को पारित कर दिया जाएगा।

यह इश्तहार मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से आज दिनांक 29–12–2025 को जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित / –
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
थुरल, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

——————

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी उप–तहसील ठाकुरद्वारा, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

मुकद्दमा नं0 : 83 Misc/NT / 2025

ज्ञान चन्द पुत्र राम रखा, निवासी गांव मलकाना, उप–तहसील ठाकुरद्वारा, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) . प्रार्थी।

बनाम

आम जनता

विषय.——प्रार्थना–पत्र जेरे नियम 13(3) हिमाचल प्रदेश जन्म व मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

प्रार्थी ज्ञान चन्द पुत्र राम रखा, निवासी गांव मलकाना, उप–तहसील ठाकुरद्वारा, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ने प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत करते हुए निवेदन किया है कि मेरे चाचा चिरन्जी लाल पुत्र मियां राम की मृत्यु दिनांक 15–02–1988 को गांव बरोटा, पंचायत पराल, तहसील इन्दौरा, जिला कांगड़ा, हि0प्र0 में हुई थी।

जिसे वह अज्ञानतावश पंचायत रिकॉर्ड में दर्ज न करवा सका। जिसे वह ग्राम पंचायत बरोटा के पंचायत रिकॉर्ड में दर्ज करवाना चाहता है।

अतः इस इश्तहार के द्वारा सर्वसाधरण को सूचित किया जाता है कि उक्त मृत्यु पंजीकरण दर्ज करवाने बारे किसी को कोई उजर/एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन दिनांक 10–01–2025 को प्रातः 10.00 बजे अदालत हजा में उपस्थित होकर अपना एतराज पेश कर सकता है। कोई एतराज पेश न होने की सूरत में जन्म पंजीकरण ग्राम पंचायत बरोटा के पंचायत रिकॉर्ड में दर्ज करने बारे आदेश पारित कर दिए जायेंगे।

यह इश्तहार 09–12–2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/–
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
उप–तहसील ठाकुरद्वारा,
जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी उप–तहसील ठाकुरद्वारा, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

मुकद्दमा नं0 : 84 Misc/NT/2025

श्रीमती वेवी पत्नी स्व0 श्री बिरवल, गांव तमौता, डाकघर उलैहड़ियां, उप–तहसील ठाकुरद्वारा, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) . प्रार्थिया।

बनाम

आम जनता

विषय.––प्रार्थना–पत्र जेरे नियम 13(3) हिमाचल प्रदेश जन्म व मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

प्रार्थिया श्रीमती वेवी पत्नी स्व0 श्री बिरवल, गांव तमौता, डाकघर उलैहड़िया, उप–तहसील ठाकुरद्वारा, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ने प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत करते हुए निवेदन किया है कि मेरे देवर परमजीत सिंह पुत्र देश राज की मृत्यु दिनांक 20–02–2021 को गांव तमौता, पंचायत मिलवां, तहसील इन्दौरा, जिला कांगड़ा, हि0प्र0 में हुई थी। जिसे वह अज्ञानतावश पंचायत रिकॉर्ड में दर्ज न करवा सकी। जिसे वह ग्राम पंचायत मिलवां के पंचायत रिकॉर्ड में दर्ज करवाना चाहती है।

अतः इस इश्तहार के द्वारा सर्वसाधरण को सूचित किया जाता है कि उक्त मृत्यु पंजीकरण दर्ज करवाने बारे किसी व्यक्ति को कोई उजर/एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन दिनांक 12–01–2026 को प्रातः 10.00 बजे अदालत हजा में उपस्थित होकर अपना एतराज पेश कर सकता है। कोई एतराज पेश न होने की सूरत में जन्म पंजीकरण ग्राम पंचायत बरोटा के पंचायत रिकॉर्ड में दर्ज करने बारे आदेश पारित कर दिए जायेंगे।

यह इश्तहार 11–12–2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/–
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
उप–तहसील ठाकुरद्वारा,
जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी उप–तहसील ठाकुरद्वारा, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

केस नं0 :	किस्म मुकद्दमा	तारीख पेशी
22/T/B / 2025	जन्म पंजीकरण	22–01–2026

श्री अनिल कुमार पुत्र श्री सुधीर कुमार, निवासी वार्ड नं0–07 ज्वालामुखी, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) प्रार्थी।

बनाम

आम जनता

इश्तहार राजपत्र हिमाचल प्रदेश मुश्त्री मुनादी व चस्पानगी

विषय.––प्रार्थना–पत्र जन्म पंजीकरण प्रार्थी अनिल कुमार पुत्र श्री सुधीर कुमार, निवासी वार्ड नं0–07 ज्वालामुखी, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) बाबत दिए जाने आदेश रजिस्ट्रेशन जन्म पंजीकरण नगर परिषद ज्वालामुखी, तहसील ज्वालामुखी, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

प्रार्थना–पत्र श्री अनिल कुमार पुत्र श्री सुधीर कुमार, निवासी वार्ड नं0–07 ज्वालामुखी, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) बावत दिए जाने आदेश रजिस्ट्रेशन जन्म पंजीकरण ने इस अदालत में एक प्रार्थना–पत्र दायर किया है कि उनका जन्म दिनांक 11–09–2000 को नगर परिषद ज्वालामुखी में हुआ था। परन्तु यह जन्म पंजीकरण अनभिज्ञता के कारण नगर परिषद ज्वालामुखी के रजिस्टर में दर्ज न हो सका।

अतः इस इश्तहार राजपत्र हिमाचल प्रदेश मुश्त्री मुनादी व चस्पानगी के माध्यम से आम जनता तथा सम्बन्धित रिश्तेदारों को सूचित किया जाता है कि अगर किसी को उपरोक्त जन्म पंजीकरण बारे कोई उजर / एतराज हो तो वह दिनांक तारीख पेशी 22–01–2026 दोपहर 2.00 बजे से लेकर शाम 5.00 बजे तक इस न्यायालय में असालतन या वकालतन अपना एतराज अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में उपस्थित होकर पेश कर सकता है अन्यथा एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर नगर परिषद ज्वालामुखी को उक्त पंजीकरण करने के आदेश जारी कर दिए जाएंगे। उसके उपरान्त कोई उजर / एतराज काबिले समायत न होगा।

आज दिनांक 23–12–2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत के द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित / –
सहायक समाहर्ता, प्रथम श्रेणी,
ज्वालामुखी, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

————————

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी उप–तहसील ठाकुरद्वारा, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

मिसल नं0 :
87 Misc/NT / 2025

श्री दर्शन सिंह पुत्र स्व0 श्री नानक चन्द, निवासी गांव व डाकघर पराल, उप–तहसील ठाकुरद्वारा, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) प्रार्थी।

बनाम

आम जनता

विषय.——प्रार्थना–पत्र जेरे नियम 13(3) हिमाचल प्रदेश जन्म व मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

प्रार्थी श्री दर्शन सिंह पुत्र स्व0 श्री नानक चन्द, निवासी गांव व डाकघर पराल, उप–तहसील ठाकुरद्वारा, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ने प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत करते हुए निवेदन किया है कि मेरी माता स्व0 श्रीमती दुर्गी देवी पत्नी स्व0 श्री नानक चन्द कि मृत्यु दिनांक 20–03–1998 को गांव व डाकघर पराल उप–तहसील ठाकुरद्वारा, जिला कागड़ा हि0 प्र0 में हुई थी। जिसे वह अज्ञानतावश पंचायत रिकॉर्ड में दर्ज न करवा सका। जिसे वह ग्राम पंचायत पराल के पंचायत रिकॉर्ड में दर्ज करवाना चाहता है।

अतः इस इश्तहार के द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि उक्त मृत्यु पंजीकरण दर्ज करवाने बारे किसी व्यक्ति को कोई उजर / एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन दिनांक 23–01–2026 को प्रातः 10.00 बजे अदालत हजा में उपस्थित होकर अपना एतराज पेश कर सकता है। कोई एतराज पेश न होने की सूरत में जन्म पंजीकरण ग्राम पंचायत पराल के पंचायत रिकॉर्ड में दर्ज करने बारे आदेश पारित कर दिए जायेंगे।

आज दिनांक 24–01–2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत के द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित / –
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
उप–तहसील ठाकुरद्वारा,
जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

————

ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, उप–तहसील नित्थर, जिला कुल्लू (हि0प्र0)

मिसल नं0 : 11 / 2025 दिनांक मरजुआ : 15–11–2025 तारीख फैसला : 24–01–2026
उनवान मुकद्दमा : ईन्द्राज सेहत नाम

श्री सुणू राम पुत्र स्व0 श्री कादशू राम, निवासी गांव बनेउगा, डा0 घाटू, उप–तहसील नित्थर, जिला कुल्लू (हि0प्र0)। . . प्रार्थी।

बनाम

आम जनता . . फरीकदोयम।

प्रार्थना पत्र जन्म व मृत्यु पंजीकरण जेर धारा 13(3) पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्री सुणू राम पुत्र स्व0 श्री कादशू राम, निवासी गांव बनेउगा, उप–तहसील नित्थर, जिला कुल्लू ने एक आवेदन–पत्र जिला रजिस्ट्रार जन्म व मृत्यु एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी कुल्लू, जिला कुल्लू के कार्यालय पत्र संख्या HFW-ST (B&D) Delay Birth and Death-KLU-2020-18861-62, दिनांक 06–10–2025 जो कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप–तहसील नित्थर को सम्बोधित है, इस कार्यालय में प्रस्तुत किया है तथा प्रार्थी ने शपथ–पत्र में उल्लेख किया है कि उसकी पत्नी मणी देवी की मृत्यु 14–12–2017 को गांव बनेउगा में हुई है। प्रार्थी अपनी पत्नी का नाम अज्ञानता के कारण ग्राम पंचायत घाटू में दर्ज नहीं कर पाया। शपथ–पत्र, नकल परिवार, रिपोर्ट प्रधान ग्राम पंचायत घाटू व फार्म न0 10 संलग्न हैं। अब प्रार्थी ने ग्राम पंचायत घाटू के मृत्यु पंजीकरण रजिस्टर में अपनी पत्नी की मृत्यु 14–12–2017 दर्ज करने के आदेश चाहे हैं।

अतः इस इश्तहार के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को ग्राम पंचायत घाटू के मृत्यु पंजीकरण रजिस्टर में मणी देवी पत्नी सुणू राम का नाम दर्ज करने बारा कोई उजर/एतराज हो तो वह असालतन/वकालतन तारीख पेशी 24—01—2026 को प्रातः 10 बजे इस अदालत में हाजिर होकर अपना उजर/एतराज पेश कर सकते हैं। बसूरत गैरहाजिरी एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जा करके मृत्यु दर्ज करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

यह इश्तहार आज दिनांक 24—12—2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
उप—तहसील नित्थर, जिला कुल्लू (हि0प्र0)।

———————

In the Court of Sh. Nishant Kumar, H.A.S., Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Kullu, District Kullu (H.P.)

In the matter of :

1. Sh. Prakhar Agrawal s/o Late Sh. Sharad Agrawal, r/o Plot No. 39-40, Panchvati Vastra Nagar, Lashkar, Gwalior, Madhya Pradesh.

2. Mrs. Shilanjani Sood d/o Sh. Rajeev Sood, r/o Ward No. 2, Swaran Departmental Store, Akhara Bazar, Kullu, Tehsil & Distt. Kullu (H.P.)

. . *Applicants*.

Versus

General Public

Subject.—Proclamation for the registration of marriage under section 15 of Special Marriage Act, 1954.

Prakhar Agrawal and Shilanjani Sood have filed an application alongwith affidavits in the court of undersigned under section 15 of Special Marriage Act, 1954 that they have solemnized their marriage on 08-11-2025 and they are living as husband and wife since then, hence their marriage may be registered under Act *ibid.*

Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding this marriage can file the objection personally or in writing before this court on or before 12-06-2026. The objection received after 12-06-2026 will not be entertained and marriage will be registered accordingly.

Issued today on 12-01-2026 under my hand and seal of the court.

Seal.

Sd/-
(NISHANT KUMAR, H.A.S),
Marriage Officer-cum-*Sub-Divisional Magistrate,*
Kullu, District Kullu (H.P.).

———————

In the Court of Marriage Officer-cum**-Sub-Divisional Magistrate, Sundernagar, District Mandi (H. P.)**

In the matter of :

1. Sh. Pawan Kumar s/o Sh. Achhru Ram, r/o Village Phagwao, P.O. Jaidevi, Tehsil Sundernagar, Distt. Mandi (H.P.) (age 45 years).

2. Smt. Savitri Devi d/o Sh. Govind Ram, r/o Village Chhatru, P.O. Kummi, Tehsil Balh, Distt. Mandi (H.P.) at present w/o Sh. Pawan Kumar s/o Sh. Achhru Ram, r/o Village Phagwao, P.O. Jaidevi, Tehsil Sundernagar, Distt. Mandi H.P. (age 41 years)

. . Applicants.

Versus

General Public . . Respondent.

Subject.—Application for the registration of marriage under section 15 of Special Marriage Act.

Applicants Sh. Pawan Kumar and Smt. Savitri Devi have filed an application alongwith affidavit in the court of undersigned under section 15 of Special Marriage Act, 1954 that they have solemnized their marriage according to Hindu rites and ceremonies on dated 20-06-2005 and they are living together as husband and wife since then, hence their marriage may be registered under Special Marriage Act, 1954.

Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding this marriage can file the objection personally or in writing before this court on or before 28-01-2026. After that no objection will be entertained and marriage will be registered.

Issued today on 26-12-2025 under my hand and seal of the court.

Seal. Sd/-

Marriage Officer-cum-*Sub-Divisional Magistrate,*
Sundernagar, District Mandi (H.P.).

In the Court of Sh. Daya Nand Sharma, Exective Magistrate, Grade-II Rohru, District Shimla (H.P.)

In the matter of :

Smt. Sita Devi w/o Sh.Vikas, r/o Vill. Bashla P.O. Arhal, Tehsil Rohru, District Shimla, Himachal Pradesh . . *Applicant.*

Versus

General Public . . *Respondent.*

Subject.—Application Under Section 13(3) of the Birth & Death Registration Act, 1969.

Whereas Smt. Sita Devi w/o Sh.Vikas, r/o Vill. Bashla P.O. Arhal, Tehsil Rohru, District Shimla, Himachal Pradesh has filed an application alongwith the affidavit in the court of the undersigned under section 13(3) of the Birth & Death Registration Act, 1969, to enter the Date of Birth of his daughter (03-10-2012) in the record of Birth Register of Gram Panchayat Bashla.

Now therefore objections are invited from the general public that if anyone has any objection regarding to enter the Date of Birth of Miss Suhani d/o Vikas they should appear before the court of undersigned within 30 days from the publication of this notice, either personally or through their authorized agent.

In the event of their failure to do so, it would be deemed that there is no objection and order shall be passed ex-parte without affording any further opportunity of being heard.

Issued under my hand and seal of the court on this 29thDecember, 2025.

Seal.

Sd/-
(DAYA NAND SHARMA),
Exective Magistrate, Grade-II,
Rohru, District Shimla (H.P.).

In the Court of Sh. Daya Nand Sharma, Exective Magistrate, Grade-II Rohru, District Shimla (H.P.)

In the matter of :

Smt. Sita Devi w/o Sh.Vikas, r/o Vill. Bashla P.O. Arhal, Tehsil Rohru, District Shimla, Himachal Pradesh . . *Applicant.*

Versus

General Public . . *Respondent.*

Subject.—Application Under Section 13(3) of the Birth & Death Registration Act, 1969.

Whereas Smt. Sita Devi w/o Sh.Vikas, r/o Vill. Bashla, P.O. Arhal, Tehsil Rohru, District Shimla, Himachal Pradesh has filed an application alongwith the affidavit in the court of the undersigned under section 13(3) of the Birth & Death Registration Act, 1969, to enter the Date of Birth of his daughter (03-10-2012) in the record of Birth Register of Gram Panchayat Bashla.

Now therefore objections are invited from the general public that if anyone has any objection regarding to enter the Date of Birth of Miss Sakshi d/o Vikas they should appear before the court of undersigned within 30 days from the publication of this notice, either personally or through their authorized agent.

In the event of their failure to do so, it would be deemed that there is no objection and order shall be passed ex-parte without affording any further opportunity of being heard.

Issued under my hand and seal of the court on this 29th December, 2025.

Seal.

Sd/-
(DAYA NAND SHARMA),
Exective Magistrate, Grade-II,
Rohru, District Shimla (H.P.).

ब अदालत श्री सुरेन्द्र चंदेल, कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार ममलीग, उप–तहसील ममलीग, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश

मिसल नं0 : 08 / 2025 तारीख मजरुआ : 04–12–2025

श्री प्रेम सिंह पुत्र श्री राम दास, ग्राम बशील, डा0 ममलीग, उप–तहसील ममलीग, जिला सोलन (हि0प्र0)।

प्रार्थना–पत्र जेरे धरा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 व धारा 9(3) हिमाचल प्रदेश जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण नियम, 2003.

श्री प्रेम सिंह पुत्र श्री राम दास, ग्राम बशील, डा0 ममलीग, उप–तहसील ममलीग, जिला सोलन (हि0प्र0) जो कि ग्राम पंचायत ममलीग के ग्राम बशील, उप–तहसील ममलीग, जिला सोलन (हि0प्र0) के निवासी हैं। वह अपने पिता श्री रामदास पुत्र बालक राम की मृत्यु तिथि दिनांक 01–01–1985 को स्थानीय ग्राम पंचायत ममलीग में पंजीकरण करवाना चाहते हैं।

अतः सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि श्री राम दास पुत्र बालक राम की मृत्यु तिथि दिनांक 01–01–1985 को ग्राम पंचायत ममलीग में पंजीकरण करवाना चाहते हैं। यदि किसी व्यक्ति को कोई उजर / एतराज हो तो इस इश्तहार के प्रकाशन के 30 दिन के अन्दर लिखित / मौखिक असालतन / वकालतन अधोहस्ताक्षरी की अदालत में प्रस्तुत कर सकता है। यदि उक्त समय अवधि के भीतर किसी प्रकार का एतराज प्राप्त न हो तो उक्त प्रकरण पर नियमानुसार आदेश पारित कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 22–12–2025 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित / –
(सुरेन्द्र चन्देल)
कार्यकारी दण्डाधिकारी ममलीग,
जिला सोलन (हि0 प्र0)।

ब अदालत नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता (द्वितीय वर्ग), उप–तहसील बीहड़ू कलां, जिला ऊना (हि0प्र0)

मुकद्दमा नं0 : 0809588 / NTBC / 2025 किस्म दावा : नाम दुरुस्ती तारीख पेशी : 30–01–2026

श्रीमती निर्मला देवी

बनाम

आम जनता

विषय.——प्रार्थना–पत्र नाम दुरुस्ती करवाने बारे।

उपरोक्त मुकद्दमा में प्रार्थिया श्रीमती निर्मला देवी पुत्री लखू ने एक प्रार्थना–पत्र बराए नाम दुरुस्ती बारा इस न्यायालय में दायर किया है जिसमें उसने अपना नाम श्रीमती निर्मला देवी पुत्री लखू, वासी महाल टांडा उपरला, उप–तहसील बीहडू कलां, जिला ऊना (हि०प्र०) बताया है जबकि उसका नाम राजस्व अभिलेख महाल टांडा उपरला, जमाबन्दी वर्ष 2023–2024 के अनुसार श्रीमती वीरो देवी दर्ज है। प्रार्थिया अपना नाम श्रीमती वीरो देवी की बजाए श्रीमती वीरो देवी उपनाम श्रीमती निर्मला देवी पुत्री लखू, वासी महाल टांडा, उप–तहसील बीहडू कलां, जिला ऊना (हि०प्र०) करवाना चाहती है।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार मुश्त्री मुनादी द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्व अभिलेख महाल टांडा उपरला, उप–तहसील बीहडू कलां, जिला ऊना (हि०प्र०) में इस नाम दुरुस्ती बारे कोई आपत्ति / एतराज हो तो वह निर्धारित पेशी दिनांक 30–01–2026 या इससे पूर्व असालतन या वकालतन अदालत हजा में हाजिर आकर अपना एतराज प्रस्तुत कर सकता है। एतराज प्राप्त न होने की सूरत में हस्ब जाबता कार्यवाही अमल में लाई जाकर मुकद्दमा का निर्णय कर दिया जाएगा।

आज दिनांक 26–12–2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित / –
सहायक समाहर्ता (द्वितीय वर्ग),
उप–तहसील बीहडू कलां, जिला ऊना (हि०प्र०)।

———————

CHANGE OF NAME

I, Sirjana d/o Bali Ram, r/o Vill. Shamlech (643), P.O. Barog, Teh. & Distt. Solan (H.P.) declare that I have changed my name from Sirjana to Srijana. Please note all concerned, for further.

SIRJANA
d/o Bali Ram,
r/o Vill. Shamlech (643), P.O. Barog,
Teh. & Distt. Solan (H.P.).

———————

CHANGE OF NAME

I, Aditya Kharwal s/o Sh. Kuldip Chand, r/o V.P.O. Bhattu Smula, Tehsil Palampur, Distt. Kangra (H.P.) declare that I have changed the name of my minor son from Krishiv Kharwal to Krithvik Kharwal. Concerned may note.

ADITYA KHARWAL
s/o Sh. Kuldip Chand,
r/o V.P.O. Bhattu Smula,
Tehsil Palampur, Distt. Kangra (H.P.).

CORRECTION OF NAME

I, Jagdish Thakur s/o Jalam Singh, r/o V.P.O. Nainidhar, Sub-Tehsil Ronhat, Tehsil Shillai, Distt. Sirmaur (H.P.) hereby declare that in my Aadhar Card (No. 3735-0008-2474), my name has been wrongly entered as Jagat Singh. The correct name should be Jagdish Thakur. All concerned may please note.

JAGDISH THAKUR
s/o Jalam Singh,
r/o V.P.O. Nainidhar, Sub-Tehsil Ronhat,
Tehsil Shillai, Distt. Sirmaur (H.P.).

CORRECTION OF NAME

I, Bharti Kumari d/o Sh. Mithun Singh, r/o V.P.O. Recong Peo, Tehsil Kalpa, Distt. Kinnaur (H.P.) hereby declare that in my 10th (bearing Roll No. 2224049) and 12th (bearing Roll No. 2721494) certificates, issued by CBSE my name & my mother's name wrongly entered as Bharati Kumari & Menka respectively. Whereas my correct name is Bharti Kumari & my mother's correct name is Main Kala. All concerned please note.

BHARTI KUMARI
d/o Sh. Mithun Singh,
r/o V.P.O. Recong Peo,
Tehsil Kalpa, Distt. Kinnaur (H.P.).

CHANGE OF NAME

I, Kusuma Devi w/o Sh. Rajesh Verma, r/o Vill. Har, P.O. Nalti, Tehsil & Distt. Hamirpur (H.P.) declare that I have changed my name from Kusama Devi to Kusuma Devi for all purposes in future. All concerned please note.

KUSUMA DEVI
w/o Sh. Rajesh Verma,
r/o Vill. Har, P.O. Nalti,
Tehsil & Distt. Hamirpur (H.P.).

CORRECTION OF NAME

I, Amar Dei d/o Sh. Baldev presently w/o Sh. Ram Singh, r/o Vill. Sahu, P.O. Ail, Tehsil Churah, Distt. Chamba (H.P.) hereby declare that in my Aadhar Card bearing No. 7742 5075 5423, my name is wrongly entered as Suna. Whereas my correct name is Amar Dei. I shall be known as Amar Dei for all purposes in future. All concerned please note.

AMAR DEI
d/o Sh. Baldev,
r/o Vill. Sahu, P.O. Ail,
Tehsil Churah, Distt. Chamba (H.P.).

CORRECTION OF NAME

I, Kartik Rana (31 years) s/o Sh. Bomdhir Singh, r/o Village Kunsal, P.O. Thara, Tehsil Baijnath, Distt. Kangra (H.P.) hereby declare that my mother's name is Veena Devi in all my records, but my mother's name is recorded as Veena Rana in my School record & all other official documents. However, my mother's correct name is Veena Devi this is correct, please note all concerned.

KARTIK RANA
s/o Sh. Bomdhir Singh,
r/o Village Kunsal, P.O. Thara,
Tehsil Baijnath, Distt. Kangra (H.P.).

CHANGE OF NAME

I, Meena age 41 w/o Sh. Amolak Ram, r/o Village Tahu, P.O. Tharola, Tehsil Kotkhai, Distt. Shimla (H.P.) 171202 declare that I have changed my name from Rita Devi (old name) to Meena (new name). All concerned please may note.

MEENA
w/o Sh. Amolak Ram,
r/o Village Tahu, P.O. Tharola,
Tehsil Kotkhai, Distt. Shimla (H.P.) .

CORRECTION OF NAME

I, Sher Singh s/o Jhave Ram, r/o Village Matla, P.O. Khuhan, Tehsil Balichowki, Distt. Mandi (H.P.) declare that my name is wrongly entered as Jitender Kumar in Aadhar Card. Now, I intend to correct my name as Sher Singh in Aadhar Card. Concerned note it.

SHER SINGH
s/o Jhave Ram,
r/o Village Matla, P.O. Khuhan,
Tehsil Balichowki, Distt. Mandi (H.P.).

CHANGE OF NAME

I, Aksar (new name) s/o Ina Ali, Village Tarshanoo, Up Mohal Tarshanoo (74/3), Shimla (H.P.)-171 210 declare that I have changed my name from Asgar (previous name) to Aksar (new name). All concerned please may note.

AKSAR
s/o Ina Ali,
Village Tarshanoo, Up Mohal Tarshanoo (74/3),
Shimla (H.P.)-171210.

CHANGE OF NAME

I, Gulabi Devi aged about 24 years w/o Sh. Bhopinder Singh, r/o 12/1 Shapra (78), P.O. Chambi, Distt. Shimla (H.P.)-171 211 declare that I have changed my name from Reena (old name) to Gulabi Devi (new name). All concerned may please note.

GULABI DEVI
w/o Sh. Bhopinder Singh,
r/o 12/1 Shapra (78), P.O. Chambi,
Distt. Shimla (H.P.)-171 211.

CHANGE OF NAME

I, Anjana Kumari w/o Sh. Mukesh Thakur, r/o Vill. Chanol (469), P.O. Kuthar, Teh. Krishangarh, Distt. Solan (H.P.) declare that I have changed my minor son's name from Yarthath to Yatharth. Concerned please may note.

ANJANA KUMARI
w/o Sh. Mukesh Thakur,
r/o Vill. Chanol (469), P.O. Kuthar,
Teh. Krishangarh, Distt. Solan (H.P.).

CHANGE OF NAME

I, Bhagi Devi aged 66 years w/o Sh. Jagat Ram, r/o Jagat Niwas, Patti Galon, P.O. Kasumpti, Vikasnagar, Shimla (H.P.)-171 009 declare that I have changed my name from Bhagwati Devi to Bhagi Devi. All concerned please may note.

BHAGI DEVI
w/o *Sh. Jagat Ram,*
r/o Jagat Niwas, Patti Galon,
P.O. Kasumpti, Vikasnagar,
Shimla (H.P.)-171 009.

CORRECTION OF NAME

I, Satish Kumar s/o Sh. Jagdish Chand, r/o Vill. Malag, P.O. Kangoo, Teh. Nadaun, Distt. Hamirpur (H.P.) declare that in Aadhar Card of my daughter bearing No. 6529 9321 2822, her name is wrongly entered as Janbi. Whereas her correct name is Jhanvi. She shall be known as Jhanvi for all purposes in future. All concerned please may note.

SATISH KUMAR
s/o Sh. Jagdish Chand,
r/o Vill. Malag, P.O. Kangoo,
Teh. Nadaun, Distt. Hamirpur (H.P.).

CORRECTION OF NAME

I, Raj Kumar s/o Sh. Jagdish Singh, Village Hirapur, P.O. Auhar, Teh. Ghumarwin, Distt. Bilaspur (H.P.)-174 024 do hereby declare that the correct name of my daughter is Ishvi instead of Muskan Kanwar *vide* Affidavit No. 2184, Dt.-18th Dec., 2025 (Executive Magistrate Ghumarwin).

RAJ KUMAR
s/o Jagdish Singh,
Village Hirapur, P.O. Auhar,
Teh. Ghumarwin, Distt. Bilaspur (H.P.)-174 024.

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला–5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित
इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरित राजपत्र, वैबसाइट http://rajpatrahimachal.nic.in पर उपलब्ध है एवम् ऑनलाइन सत्यापित किया जा सकता है।